31.3.2021 | वकील पक्षकान उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दाखा पत्रावली के शामिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

तारीख रजू

आर.सी.एम.एस

26.12.2007

2007 / 00046

/ 2007

1. बच्चू आयु 40 साल
2. रूपसिंह आयु 36 साल

} पुत्रान स्व0 मोती पुत्र लललू जातियान मालीयान निवासी नये बडे डाकघर के पीछे शहर करौली

3. श्रामपति पुत्री स्व0 मोती पुत्र लल्लू आयु 50 साल धर्म पत्नि देवीचन्द जाति माली हाल निवासी ग्राम सॉकरा तहसील व जिला करौली

वादीगण

बनाम

1. सम्पू पुत्र गुटटल आयु 60 साल जाति माली निवासी नये बडे डाकघर के पीछे शहर करौली तहसील करौली जिला करौली।
2. सब रजिस्ट्रर करौली जिला कलेक्ट्रेट बिल्डिग तहसील करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र दफा 212 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक 31.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उनवानी दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है सायलान का प्राईमाफेशी केश है सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायलान के पक्ष मं है आराजी खसरा नमबर 967 ता 975,993 ता 997 कुल किता 14 कुल रकवा 15 वीधा 01 वीधा कस्बा करौली तहसील करौली सायलान व गैरसायल न01 के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें सायल का 1/2 हिस्सा व गैरसायल न01 1/2 हिस्सा है भूमि का मीटस एण्ड वाउण्ड अभी तक कोई बटवारा नही हुआ है खसरा नम्बर 970,972,973 की सीमा पर सायलान व गैर सायल न0 1 शामलती खुदवाया हुआ कुआ मौजूद है जिससें सायलान के पिता ने अपने नाम से विधुत कनेक्शन लेकर विधुत मोटर लगा रखी है जिससे उभयपक्ष भूमि में फसल की सिचाई हेतु पानी लेते आ रहे है ओर बिल का खर्च शामलती भरते आ रहे है उक्त आराजीयात में आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 970 के पश्चिम में सरकारी रास्ते से होकर दक्षिण सीमा से होते हुये कुआ पर होकर सदैव का रहा है जिससे [illegible] सायलान स्वंय आ जाकर अपने हल वैल लाकर ले जाकर आराजी को काश्त करते आ रहे है [illegible] उभयपक्ष सह खातेदार है भूमि की 1/2 हिस्से की खातेदारी मोती के [illegible] नामान्तरकरण नम्बर 1340 से सायलान के नाम खातेदारी दर्ज हुयी है। गैरसायल न01 के [illegible] में कुछ दिनों से वदनीयति आ रही है और वह सायलान को तंग परेशान करने पर उतारू है और वह धमकी देने लगा है किवह सायलान के खेत पर आने के उक्त कदीमी रास्ते को वन्द करेगा इस पर सायलाान ने उसे कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गर इस रास्ता को बन्द कर दोगा तो सायलान का एक मात्र रास्ता इन खेतो पर आने जाने न्द हो जावेगा ऐसा अन्याय क्यो करत हो लेकिन गैरसायल न01 नही मान रहा है सायलान व भूमि को संयुक्त काश्त करना सभ्भंव नही है और सायलान के आपसी सहमति से बटवारा को दिनांक 28.11.2007 को कहा तो साफ इनकार हो गया और भूमि की दीगर लोगो को मा से चेचने को उतारू से रहा है अगर भूमि को दीगर लोगो को विक्रय कर दिया तो विवाद जिससे सायलान का नाकाविले पूर्ति नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान को ताफैसला त्र अस्थायी निषधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का न किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। ायल न01 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायलान व गैरसायल न01 के सयुक्त खातेदारी की है किन्तु सयुक्त कब्जे काश्त की नही है ग्रस्त आराजीयात का सायलान व गैरसयल के मध्य सायलान के पिता मोती के समय मे ही हमी बटवारा होकर हिस्से अलग –अलग हो चुके हे और दोनो ही पक्ष मुतविक वाहमी बटवारा पने –अपने हिस्से पर वाहिद काविज काश्त चले आ रहे है। खसरा नम्बर 972,973 की सीमा पर रसायल द्वारा कुआ खुदवाया गया है जिसमें से सायलान का कोई सम्बन्ध नही है विधुत कनेक्शन सायलान के पिता ने गैरसायल से छिपाते हुये अपने नाम गलत तरीके से करा लिया है सायलान को कुआ का उपयोग करने का अधिकार नही है गैरसायल की सहमति से कुआ से पानी लेते है। रास्ता खसरा नम्बर 970 के पश्चिम मे सरकारी रास्तो से होना गलत दर्ज किया है खसरा नम्बर 970,972,973, की सीमा होकर कोई रास्ता सायलान नही है। भूमि पर सायलान का सयुक्त कब्जा काश्त नही है। सायलान ने प्रार्थना पत्र में विरोधावासी तथ्य दर्ज किये है। सायलान गैरसायलान को पाबन्द कराने के अधिकारी नही है सायलान गैरसायल की कब्जे काश्त की भूमि में जबरदस्ती रास्ता निकलना चाहते है जिसका उन्हे अधिकार नही" यदि सायलान अपने मकसद मे कामयाव हो गये तो गैरसायल आराजी के काश्त से वंचित हो जावेगा जिससे गैरसायल को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी गैरसायलान सायलान को अस्यायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार है जिसके लिए काउण्टर टी.आई. पेश की है सायलान के दिल मं वेइमानी आ गयी है और पूर्व के बटवारे का मुकर रहे है और सयुक्त खातेदारी का लाभ उठाकर हिस्सा 1/2 को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है और दिनांक 27.01.2008 को ऐलानिया धमकी है कि 1/2 हिस्सा को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करेगे और जवरन रास्ता निकाले ने और कब्जे काश्त गैरसायल में व्यवधान पैदा करेगे इस कारण गैरसायल सायलान के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

गैरसायल न03 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सम्पूर्ण आराजी का विक्रय हो चुका है अव सायलान के नाम कोई खातेदारी [illegible] है सायलान कोई अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है मौके पर कोई कब्जा नही है अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:49 IST
Reason: SelfAttested

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात सायलान अभी तक बटवारा नही हुआ है दौराने दावा व टी.आई. गैरसायल न01 ने अपने 1/2 हिस्सा भूमि को गैरसायल न02 को रकवा 2 वीधा

Scanned with CamScanner

विस्वा के 1/2 हिस्सा को गैरसायल न03 को विक्रय कर दिया है गैर सायलान सायलान के मी रास्ता के बन्द करना चाहते है और सायलान के कब्जे काश्त के वाधा पैदा करने पर रुहे भूमि के सायलान के 1/2 हिस्सा का बटवारा होना है भूमि को गैर सायलान दौराने दावा य कर रहे है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है इसलिए गैरसायलान को सला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

वकील गैरसायलान का वहस में कथन है कि भूमि का वाहमी बटवारा सायलान के ता मोती के समय मे ही गैरसायल व सायलान के मध्य हो चुका है अलग अलवा काश्त कर रहे कोई रास्ता गैरसायल के हिस्से की भूमि में होकर सायलान का नही है सायलान दावा व दर0 आड में रास्ता गैरसायल की भूमि में निकालना चाहते है कुआ गैरसायल न01 ने खुदवाया है यलान गैरसायल न01 की सहमति से पानी लेते सायलान भूमि को विक्रय करना चाहते है ायलान का गैरसायल के हिस्से की भूमि पर सयुक्त कब्जा नही है।

प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावें गैरसायल न01 की काउण्डर टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें

वहस वकील फरीकेन का मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2060 से 2063 का अवलोकन किया गया जिसमें वादग्रस्त आराजीयात सायलान व गैरसायल न01 के सयुक्त खातेदारी में अंकित है सायलान व गैरसायलान के मध्य भूमि का बटवारा होना है उभयपक्ष के मध्य बटवारा का सदभावी विवाद है जो मूल दावा के अंतिम निर्णय से तय होगा दौरान दावा वादग्रस्त आराजीयात जो सायलान व गैरसायलान के सयुक्त खातेदारी की होन से प्रथम दृस्टता केश व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विक्रय गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादग्रस्त अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 967 ता 975,993 ता 997 कुल किता 14 कुल रकवा 5 वीधा 01 विस्वा कस्वा करौली के सायलान के 1/2 हिस्सा को रहन वय नही करे एवं सायलान के 1/2 हिस्सा भूमि के कब्जेकाश्त व रास्ता आवागमन मे कोई वाधा नही करें ना ही किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh
Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:49 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner